

आदेश

पुलिस हरतक नियम-778 (iii) में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर चालक सिपाही श्री बिजय कुमार मिश्रा से प्राप्त अभ्यावेदन पर रिक्ति की उपलब्धता के आलोक में कन्द्रीय स्थापना समिति की दिनांक-03.06.2021 को आहूत बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी अनुशंसा के आलोक में पुलिस आदेश सं0-315/2020 के अध्यक्ष श्री बिजय कुमार मिश्रा का स्थानान्तरण उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित जिला बल में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

क्र0	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	याचित स्थान	स्थानान्तरित जिला / इकाई
1	2	3	4	5	6	7	8
1	चालक सिपाही-02	श्री बिजय कुमार मिश्रा	भागलपुर	04.03.63	खगड़िया	भागलपुर	भागलपुर

2. उक्त स्थानान्तरण सेवानिवृत्ति की निकटता एवं समर्पित विकल्प के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान श्री बिजय कुमार मिश्रा को विरमित/जिलादेश निर्गत करने से पूर्व इनके सेवाभिलेख की जाँच करेंगे। श्री बिजय कुमार मिश्रा के सेवाभिलेख में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलम्ब अवगत करायेंगे।

3. उपर्युक्त दिशा-निर्देश के आलोक में श्री बिजय कुमार मिश्रा को अविलम्ब विरमित करना सुनिश्चित किया जाय एवं तदनुसार अनुपालन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त स्थानान्तरण श्री बिजय कुमार मिश्रा के अनुरोध अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है। अतः इन्हें यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।

5. इस पर सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

ky
15/6

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण)
बिहार, पटना।

ज्ञापांक/पी0-04/01-03-2021/...!!!.....

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक.15.06.2021.

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक, भागलपुर को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।।
4. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ky
15/6

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक(कल्याण)
बिहार, पटना।